



नकल प्रमाणित प्रति

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर

दावा संख्या


153/08

तारीख दायरा

9-6-08

तारीख निर्णय

21-10-2008



अनुवान

जगन्नाथ, 2- राजाराम, 3- फूलसिंह, 4- ताराचन्द, 5- रामनाथ पुत्रान रामचन्दर उर्फ चन्दर जातियान अहीरान निवासीयान तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर

:- वादीगण

बनाम

श्रीमप्रकाश, 2- रतनलाल, 3- धर्मवीर, 4- बलवन्त, 5- हंसराज पुत्रान कालूराम लल्लूराम पुत्र बालाराम, 7- मातराम पुत्र मुखराम, 8- रंगराव पुत्र मुखराम अहीरान निवासी तिनकीरुडी तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज. सरकार जेम्स लेन्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर - राज. सरकार जेम्स तहसीलदार कोटकासिम ।

:- प्रतिवादीगण

दावा तकासमा अन्तर्गत धारा 53, 49, 88 रा. का. अ. 1955

पचाई डिक्री

1-10-08

वादीगण का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि हाल आ. ड. न. 412 रकबा 0.18, 498/412 रकबा 0.69, 499/414 रकबा 1.00, 404/0.60 वाके ग्राम नीलतनगरमाजरा तहसील कोटकासिम जिला अलवर का वादीगण । लगा. 3 को 1/2 भाग तथा वादीगण संख्या 4 व 5 1/2 भाग के खातेदार तथा आराजी हाल स. न. 463/1-24, 465/1-09, 586/426 रकबा 0.34 वाके ग्राम श्योपुर तहसील मुण्डावर के प्रतिवादीगण । लगा. 5 को 1/4 भाग तथा प्रतिवादी संख्या-6 का 1/4 भाग व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को 1/2 भाग के खातेदार के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजी के लगान का 7 1/2 गुणा पर पंजीयन शुल्क पक्षकारान से जमा राज कोष कराया जावे ।

उप खण्ड अधिकारी  
मुण्डावर जिला अलवर

प्रमाणित प्रति  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर जिला अलवर (वाच०)